न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/35/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/188

अपीलार्थी

श्री दीपेन्द्र आर्य,
नि0 ग्राम व पोस्ट–भुनगडा अहीर, तहसील–मुण्डावर,
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.4.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने RTI PORTAL पर online सूचना आवेदन–पत्र दिनांकः 09.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सरकारी कार्मिकों द्वारा राशन लेने पर वसूली की सूचना मय उपखण्ड वाईज कार्मिकों का नाम, राशनकार्ड नं. व वसूली गई राशि, राशन लेने पर लम्बित वसूली संबंधी सरकारी कार्मिकों की सूची, माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अधिरोपित शास्ति संबंधी सूचना व अन्यान्य कुल 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील (ऑनलाईन अपील दिनांकः 12.03.2022), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर को प्रस्तुत की गई जो न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी), राज. जयपुर के अपील सं. 14/2022 आदेश दिनांकः 07.04.2022 के माध्यम से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 09.02.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी), राज. जयपुर को भी सूचनार्थ प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)